UPLK010092712017

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

विशेष परीक्षण सं0 487/2017

सरकार बनाम श्रीकृष्ण आदि

अ0सं0 223ए/2005
धारा–323,324,504,506 भा0द0सं0 तथा
धारा 3(1)10 एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–मलिहाबाद, लखनऊ।

03–09–2025

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्तगण श्रीकृष्ण व सुनील कुमार मय अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्तगण के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्त सुनील कुमार के विरुद्ध धारा 323, 324, 504, 506 भा0द0सं0 तथा धारा 3(1)10 एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट तथा अभियुक्त श्रीकृष्ण के विरूद्ध धारा 323, 324, 504, 506 भा0दं0सं0 के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 06.10.2025 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010092712017

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

विशेष परीक्षण सं0 487/2017

सरकार बनाम श्रीकृष्ण आदि

अ0सं0 223ए/2005
धारा–323,324,504,506 भा0द0सं0 तथा
धारा 3(1)10 एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–मलिहाबाद, लखनऊ।

आरोप

मैं, विवेकानन्द शरण त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्त सुनील कुमार को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँः–

प्रथमः यह कि दिनांक 13.12.2005 समय 11.00 बजे थाना दिन मलिहाबाद जिला लखनऊ सीमान्तर्गत ग्राम मतोइया में आप अभियुक्त सुनील कुमार द्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर द्वारा वादी मुकदमा राम खेलावन, उसके भाई निर्भय नरायन व भांजी शान्ती देवी के पुत्र एवं पत्नी को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्त सुनील कुमार द्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर द्वारा वादी मुकदमा राम खेलावन, उसके भाई निर्भय नरायन व भांजी शान्ती देवी को धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्त सुनील कुमार द्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर द्वारा वादी मुकदमा राम खेलावन, उसके भाई निर्भय नरायन व भांजी शान्ती देवी को भद्दी–भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त सुनील कुमार द्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर द्वारा वादी मुकदमा राम खेलावन, उसके भाई निर्भय नरायन व भांजी शान्ती देवी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा

506 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

पंचमःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त सुनील कुमार द्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर द्वारा वादी मुकदमा राम खेलावन, उसके भाई निर्भय नरायन व भांजी शान्ती देवी को जातिसूचक गालियां देकर अपमानित व अभित्रस्त किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा–3(1)(X) के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 03–09–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड–यूपी06127

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 03–09–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड–यूपी06127

UPLK010092712017

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

विशेष परीक्षण सं0 487 / 2017

सरकार बनाम श्रीकृष्ण आदि

अ0सं0 223ए / 2005

धारा–323,324,504,506 भा0द0सं0 तथा

थाना–मलिहाबाद, लखनऊ।

आरोप

मैं, विवेकानन्द शरण त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्त श्रीकृष्ण को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ :–

प्रथमः यह कि दिनांक 13.12.2005 समय 11.00 बजे थाना दिन मलिहाबाद जिला लखनऊ सीमान्तर्गत ग्राम मतोइया में आप अभियुक्त श्रीकृष्ण द्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर द्वारा वादी मुकदमा राम खेलावन, उसके भाई निर्भय नरायन व भांजी शान्ती देवी के पुत्र एवं पत्नी को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्त श्रीकृष्ण द्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर द्वारा वादी मुकदमा राम खेलावन, उसके भाई निर्भय नरायन व भांजी शान्ती देवी को धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीयःयह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्त श्रीकृष्ण द्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर द्वारा वादी मुकदमा राम खेलावन, उसके भाई निर्भय नरायन व भांजी शान्ती देवी को भद्दी–भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त श्रीकृष्ण द्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर द्वारा वादी मुकदमा राम खेलावन, उसके भाई निर्भय नरायन व भांजी शान्ती देवी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 03–09–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड–यूपी06127

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 03–09–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड–यूपी06127